[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 10/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेटाफेनाइलिन डायामीन" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम, 1975 से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/2/2018-डीजीएडी, दिनांक 26 फरवरी, 2018, जिसे दिनांक 26 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और इस प्रतिपाटन शुल्क को उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार इस समीक्षा के विचाराधीन रहने के कारण इसके प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11 मार्च, 2014, जिसे सा.का.नि. 179 (अ) दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 21 मार्च, 2019 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो"

(फाइल संख्या 354/26/2013-टीआरयू (पार्ट. 1))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2014-सीमा शुल्क (एडीडी),दिनांक 11 मार्च, 2014 को सा.का.नि. 179 (अ), दिनांक 11 मार्च, 2014 के तहत प्रकाशित किया गया था ।